



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-90/2019-20/1768

Date 18.10.2019

To

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

- Sub: Grant of revised rate of Dearness Relief to the state Government Pensioners/Family Pensioners of Chhattisgarh State @ 12% (in 7th pay scale) and @ 154% (in 6th pay scale) w.e.f. 01.01.2019 – reg.
- Ref: 1. G.O. No. 392/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur, Dated 22.08.2019 of Government of Chhattisgarh, Finance Department.
2. SSA No. Pension/Relief/1898 dated 24.09.2019 received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh regarding grant of revised rate of Dearness Relief to the state Government Pensioners/Family Pensioners of Chhattisgarh State @ 12% (in 7th pay scale) and @ 154% (in 6th pay scale) w.e.f. 01.01.2019. The same is being placed in the official website of this office www.agker.cag.gov.in under the link "Treasury Endorsement of Orders for Other State Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully


18/10/19

Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Accountant General (A&E)
Chhattisgarh, Raipur
(For information)

-Sd-
Accounts Officer

प्रति,

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 O/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh-791110
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कंट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), तेलंगाना, हैदराबाद-500004

विषय: Revised Rate of dearness relief to the State Government Pensioners from 01.01.2019.

संदर्भ: Government Of Chhattisgarh, Finance Department, in their Memo No-199/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Dated: 12.04.2019

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति-02 पृष्ठ

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पृ.क्र: पेन्शन/राहत/

1. Joint Secretary, Government Of Chhattisgarh, Finance Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar को उनके पत्र क्र: No-392/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV दि: 22/08/2019 के उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. 392 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV,

Nava Raipur, Dated 22 August, 2019

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

**Sub - Revised rate of dearness relief to State Government pensioners
from 01.01.2019**

The State Government had sanctioned 9% (in Seventh Pay Scale) and 148% (in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.07.2018 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 199/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 12 April, 2019.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief
Date of Dearness relief in Seventh Pay Scale From 01.01.2019	3% of Basic Pension/Family Pension (Total 12%)
Date of Dearness relief in Sixth Pay Scale From 01.01.2019	6% of Basic Pension/Family Pension (Total 154%)

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance

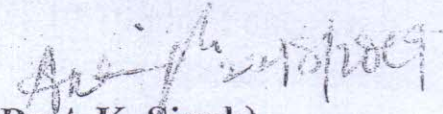
Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**


(Dr.A.K. Singh)

Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

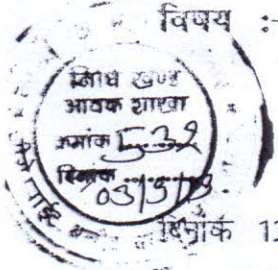
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 392/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नवा रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2019
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- दिनांक 01.01.2019 से राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें



वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 199/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2018 से 9% (सातवें वेतनमान में) एवं 148% (छठवें वेतनमान में) की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-01-2019 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3% (कुल 12%)
छठवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-01-2019 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 6% (कुल 154%)

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त

Com:- 219191728

विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के अतिवृत्तों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Cominute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. ए. के. सिंह)

संयुक्त सचिव